(154)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 170—एक/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—01—2005 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 07/2003—2004/निगरानी

.....

1— हल्केराम
2— मंटोली प्रसाद, पुत्रगण रामकिशन
निवासीगण— ग्राम गोहरी, हाल—निवासी—इन्दौर बैंक के सामने,
कोलारस, जिला—शिवपुरी, म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

जगन्नाथ पुत्र क्षण्डे ब्राम्हण
निवासी— ग्राम गोहरी तहसील कोलारस
जिला—शिवपुरी, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 26/09/2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2003—2004/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24—01—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम गोहरी स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 105 रकबा 0.09, सर्वे क्र0 111 रकबा 0.40 कुल किता 2 रकबा 0.49 है0 सम्पूर्ण एवं खाता क्र0 63/94—95 किता 2 रकबा 0.65 में से हिस्सा 1/2 एवं खाता क्र0 64/94—95, सर्वे क्र0 16 रकबा 0.37 में से हिस्सा 1/2 का अभिलिखित भूमि स्वामी मथुरा उर्फ ल्होरे पुत्र

क्षण्डे के नाम दर्ज थी, ल्होरे की मृत्यु पश्चात् उक्त विवादित भूमि पर स्वयं का नामांतरण किये जाने बावत् अनावेदक जगन्नाथ द्वारा तहसील न्यायालय, कोलारस में नामांतरण का आवेदन–पत्र पेश किया गया । तहसील न्यायालय कोलारस में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आदेश दिनांक 13.10.2003 को अनावेदक के हित में नामांतरण का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 12/2003–04/अपील में दर्ज हुई तथा दिनांक 16.04.2004 को आवेदक की अपील अस्वीकार की गई । अनुविभगीय अधिकारी कोलारस के आदेश दिनांक 16.04.2004 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की गई । प्रकरण विधिवत दर्ज होकर दिनांक 24.01.2005 को प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदकगण सह खातेदार एवं वसीयतग्रहीता तथा हितबद्ध पक्षकार व अधिपत्यधारी होकर नामांतरण आदेश में सूचना के अधिकारी थे, किन्तु उन्हें इस प्रकार में कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, बल्कि पीठ पीछे नामांतरण का आदेश पारित किया, जो त्रुटिपूण्र है । नामांतरण आदेश में नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया और न ही इस्ताहार का प्रकाशन विधिवत नहीं गया गया । सारी कार्यवाही एक ही दिन में एक स्थान पर बैठकर की गई । पटवारी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि किस पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया है एवं नामांतरण पंजी की नकल मांगने से पंजी की नकल उपलब्ध न होने से कोई नामांतरण आदेश पंजी पर नहीं किया गया । कथित पंजी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में पंजी भरी ही नहीं गई है, और न ही कोई नामांतरण आदेश पारित किया गया है । पटवारी द्वारा फ़र्जी तौर पर प्रवृष्टि की है जो नैसर्गिक न्याया के सिद्धांत के विपरीत है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि प्रश्नाधीन भुमि पर आवेदकगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और अनावेदक जगन्नाथ एवं आवेदकगण आपस में सगे भाई है जिनका आपस में समझौता होकर सर्वे नं0 188 व 278 रामकिशन व लोहरेराम के हिस्से में हिस्सा बांट में आई थी । जगन्नाथ ने उक्त भूमि के एव जमें ग्राम गोहरी में अन्य भूमि अपने हिस्से में ली थी, जिसे उसने बाद में बेच दिया । अनावेदक जगन्नाथ द्वारा दिनांक 26.11.93